उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० F 35717
Ref. No. / सी–१ / एन०ओ०सी० / जी–८८६ / २०१४

दिनांक
Date 16-1-14

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स प्रब्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, (आफिसर सिटी–१),
डी–२१, प्रथम तल, राजनगर,
गाजियाबाद।

विषय– मैसर्स प्रब्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, एन० एच–५८, , राजनगर एक्सटेन्शन, गाजियाबाद पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन दिनांक १८–१२–१३ का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। आप द्वारा प्रेषित आवेदन में निम्न बिन्दुओं

१– अ– आप द्वारा प्रस्तावित योजना में कितने मकान प्रस्तावित है व कितने व्यक्ति निवास करेगें।

ब– प्रति व्यक्ति कितनी जल खपत व उत्प्रवाह की मात्रा मानी गई है।

स– आप द्वारा प्रस्तावित योजना ई०आई०ए० नोटिफिकेशन १४/६/०६ के अंतगर्त अच्छादित होगी। अतः तद्नुसार स्टेट लेवल इनवायरमन्ट इम्पेकट असेसमेंट आथोरिटी से पर्यावरणीय क्लीरेन्स प्राप्त करें।

२– आवेदन प्रपत्र के बिन्दु २.५ के अनुकम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति/एलाटमेन्ट पत्र की प्रति प्रेषित नही की गयी है।

३– अ– घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु योजना (डिटेल डिजाइन) प्रेषित नहीं की गई है । उत्प्रवाह को उक्त एस०टी०पी० तक कैसे ले जायेगें का विवरण भी प्रेषित करें। प्रस्तावित एस०टी०पी० की लागत सूचित करें। साथ ही प्रस्तावित आर०ओ० प्लांट/वाटर साफटनिंग प्लांट से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्विकरण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण भी प्रेषित करें।

ब– घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित योजना में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है। विवरण निम्नानुसार हैः–

४– आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई हेतु पुनः प्रयोग किये जाने संबंधी प्रस्ताव नहीं दिया गया है, शेष शुद्धीकृत उत्प्रवाह को तृतीय चरण में शोधन के बाद पार्क,

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 2720828, 2720831

सड़को के किनारे ग्रीन बेल्ट आदि में इस्तेमाल कियाजा सकता है। शुद्धीकृत उत्प्रवाह सीवर में डालने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकारण/संबंधित विभाग की अनुमति वांछित है। यदि आस पास नाला है तो वहाँ तक पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव दें तथा नाले का अन्तिम रूप से कहां मिलता है बतायें।

५– सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेन्ट, ट्रांसपोर्टेशन आदि हेतु पूर्ण प्रस्ताव नही दिया गया । उक्त हेतु एम.एस.डब्लू. रूल के अनुपालन की दृष्टि से पूर्ण प्रस्ताव वांछित है तथा उक्त हेतु वांछित मशीन आदि का पूर्ण विवरण भूमि के क्षेत्रफल तथा व्यय सहित वांछित है। परिसर में ही कम्पोस्टिंग का प्रस्ताव दे तथा लोकेशन बतायें।

६– एसटीपी संचालन हेतु जेनरेटर का प्राविधान वांछित है। व्यय सहित विवरण दें।

७– प्रस्तावित स्थल फ्लड प्रोन एरिया में नही है हेतु साक्ष्य दें।

८– ग्रीन बेल्ट का विवरण नहीं दिया गया है।

९– एस०टी०पी० निर्माण, डी०जी० सेट, एम०एस०डब्लू० रूल्स के अनुपालन/ संचालन आदि हेतु वित्तीय व मानव संसाधनों का विवरण जमा करें।

१०– वाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त सूचनायें जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सोलिड वेस्ट मैंनेजमेन्ट, रेन वाटर हारवेस्टिंग, ग्रीन बेल्ट आदि में होने वाले व्यय सहित पत्र प्राप्ति के १५ दिन में प्रेषित करें, अगर आप द्वारा समय से उत्तर प्रेषित नहीं किया जाता है तो पत्रावली अस्वीकार कर दी जायेगी । ध्यान रहे कि बिना अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किये बगैर स्थल पर किये गये विकास एवं व्यय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग का स्वंय का होगा।

भवदीय,

(एस० के० सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–१)

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण आख्या स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–१)